

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 5 : Conditions and restrictions for composition levy

- (1) The person exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions, namely:-
- (a) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person;
 - (b) the goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of inter-State trade or commerce or imported from a place outside India or received from his branch situated outside the State or from his agent or principal outside the State, where the option is exercised under sub-rule (1) of rule 3;
 - (c) the goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased, he pays the tax under sub-section (4) of section 9;
 - (d) he shall pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 on inward supply of goods or services or both;
 - (e) he was not engaged in the manufacture of goods as notified under clause (e) of sub-section (2) of section 10, during the preceding financial year;
 - (f) he shall mention the words “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” at the top of the bill of supply issued by him; and
 - (g) he shall mention the words “composition taxable person” on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or places of business.
- (2) The registered person paying tax under section 10 may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under the said section subject to the provisions of the Act and these rules.
-

नियम 5 : संयुक्त उद्ग्रहण की शर्तें और निर्बंधन

- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-
- (क) वह न तो आकस्मिक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है;
- (ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टॉक में धारित माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भारत के बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है;
- (ग) उसके द्वारा स्टॉक में धारित माल का किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से क्रय नहीं किया गया है और जहां क्रय किया गया है, वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करता है;
- (घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करेगा ;
- (ङ) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है;
- (च) वह, उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर "संयुक्त कराधेय व्यक्ति, पूर्तियों पर कर संगृहीत कर के लिए पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख करेगा; और
- (छ) वह, उसके कारबार के मूल स्थान पर प्रमुख स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर "संयुक्त कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा।
- (2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के अध्याधीन उक्त धारा के अधीन कर का संदाय करता रह सकेगा।